रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 1993/आषाढ़ 10, 1915
No. 222] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 1993/ASADHA 10, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1993

सा.का.नि. 484 (अ).—पासपोर्ट संशोधन अधिनियम, 1993 (1993 का 35) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जुलाई, 1993 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में तय करती है जब उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फाईल सं.-VI/401/4/91]

एल.के. पोनप्पा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1993

G.S.R. 484(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Passports (Amendment) Act, 1993 (35 of 1993), the Central Government hereby appoints the 1st day of July 1993 as the date on which the said Act shall come into force.

[File No. VI/401/4/91]

L. K. PONAPPA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1993

सा.का.नि. 485 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम 1980 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1993 कहलाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची 1 में अंतिम क्रम संख्या 20 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियां अन्त में जोड़ी जाएंगी, यथा :—

(1)	(2)	(3)
21.	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नामित कोई भी	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट क्षेत्र

[फाईल सं. VI/401/32/93]

एल.के. पोनप्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—

1. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (असाधारण) भाग 2, खण्ड 3 उप खण्ड (i) जिसे बाद में अधिसूचना सं. 1, सा.का.नि. 50(अ) दिनांक 7 फरवरी, 1981 द्वारा संशोधित किया गया,

2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ) दिनांक 24 जून, 1982,

3. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) दिनांक 12 अप्रैल, 1983,

4. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494(अ) दिनांक 16 जून, 1983,

5. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) दिनांक 29 मार्च, 1985,

6. अधिसूचना सं: सा.का.नि. 860(अ) दिनांक 1 नवम्बर, 1985,

7. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1155(अ) दिनांक 11 नवम्बर, 1985,

8. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857(अ) दिनांक 13 अक्तूबर, 1987,

9. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 84(अ) दिनांक 11 फरवरी, 1988; और

10. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1155(अ) दिनांक 21 नवम्बर, 1988.

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1993

G.S.R. 485 (E):—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:—

1. (i) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In Schedule I to the Passport Rules, 1980, after the last serial No. 20, the following serial No. and the entries relating thereto, shall be added in the end namely:—

(1)	(2)	(3)
21.	Any other official as may be designated by the Central Government from time to time	Area to be specified by the Central Government from time to time

[File No. VI/401/32/93]

L.K. PONAPPA Jt. Secy.

NOTE:—

(i) Principal rules were published vide Notification No. GSR 691(E) dated December 11, 1980 (Extraordinary), Part II, Section 3(i). Subsequently amended by notification No. GSR 50(E), dated February 7, 1981.

(ii) Notification No. GSR 469(E) dated June 24 1982,

(iii) Notification No. GSR 325 (E) dated April 12, 1983,

(iv) Notification No. GSR 494 (E) dated June 16, 1983,

(v) Notification No. GSR 345 (E) dated March 29, 1985,

(vi) Notification No. GSR 860 (E) dated November 1, 1985,

(vii) Notification No. GSR 1155 (E) dated November 11, 1985,

(viii) Notification No. GSR 857 (E) dated October, 13, 1987,

(ix) Notification No. GSR 84(E) dated February 11, 1988; and

(x) Notification No. GSR 1155 (E) dated November 21, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993